

प्रेस-विज्ञप्ति  
जनपद कानपुर देहात।

**दिनांक:- 31.08.2020**

**थाना अकबरपुर**

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 558/20 धारा 354/506/34 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में वाछिंत अभियुक्त सूरज को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 674/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त सुशील को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(3)

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 676/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त महेश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(4)

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 677/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त अवधेश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**थाना डेरापुर**

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 252/2020 धारा 188/269/270 IPC व 3 महामारी अधि0 1897 व 51 आपदा प्रबंधन अधि0 में अभियुक्त मो0नसीम को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**थाना रसूलाबाद**

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 643/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त उमेश कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 644/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त सुरजीत उर्फ वबवन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**थाना सिकंदरा**

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 226/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त राकेश कुमार को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**थाना राजपुर**

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 131/20 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त सतीश को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**थाना अमराहट**

दिनांक 30.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 78/20 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियुक्त शिवम को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**धारा 151 दं0प्र0सं0**

दिनांक 31.08.2020 को जनपदीय पुलिस थाना रसूलाबाद 01, अकबरपुर 11, राजपुर 04, मंगलपुर 06, सटटी 01, भोगनीपुर 12, गजनेर 04, शिवली 05, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**डायल 112 - निल**